

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, नागौर
क्रमांक- शिविना/प्रारं/आरटीई/2020/3353

दिनांक 12/02/2020

प्रधानाचार्य
एकेडमी हाईट्स पब्लिक स्कूल
नागौर।

विषय- शिविना/प्रारं/सा-1/मान्यता/2011/4673 दिनांक 31.08.2011
एकेडमी हाईट्स पब्लिक स्कूल नागौर (जिला-नागौर) की मान्यता
के निरन्तरता के क्रम में।

प्रसंग- आपका पत्रांक-शून्य दिनांक 30.01.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक - प.12(6) शिक्षा-5/आरटीई दिशा निर्देश/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 05.03.2018 में दिये गये निर्देशों "जिन विद्यालयों को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता एवं सेवा शर्तें) (संशोधित) नियम 2011 के अधिसूचित होने के बाद नवीन मान्यता दी गई है वह स्थायी है।" के प्रकाश में एकेडमी हाईट्स पब्लिक स्कूल नागौर की मान्यता स्थायी है। समस्त संबंधित तदनुसार सूचित हों।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
प्रारंभिक शिक्षा, नागौर
प्रारंभिक शिक्षा, नागौर